14.02.23 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष गवाही के साथ हाजरी दी गई। वाद में प्रथम पक्ष को गवाही उपस्थापित करने हेतु अंतिम मौका दिया गया। परन्तु प्रथम पक्ष की ओर से न तो गवाही उपस्थापित किया गया। न ही वाद में रुचि लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि विवादित भूमि को लेकर दखल-कब्जा को लेकर विवाद प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद में अभिलेख की कार्रवाई को बन्द की जाती है।

14/02

अ० प०अ०

कुढ़ु।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:45:30 +05:30
Location: 10.93.79.10